Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding need to provide compensation to farmers whose lands have been acquired for fencing purpose in border areas of the UT of Jammu and Kashmir.-Laid

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर राज्य के उन सीमावर्ती स्थानों की **ओर** ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है । तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी **ओर** जो खेती की जमीन थी, जिसे अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं । उनका जमीन ही एकमात्र सहारा है । जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गयी है, तब से वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें है । उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है । इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है? ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें अभी तक उस जमीन का मुआवज़ा मिला है । जिससे कि वह आपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें । अत: मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें ।

धन्यवाद ।